

MITHILESH KUMAR MAHATHA
DEPT of political science
Adash college, Rajdhaniwar
sem- VI - 3B - party system in India

व. भारत में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :-

राजनीतिक दल प्राथमिक जनता का अलग अंग होते हैं। जिसके बिना न तो सिद्धान्तों की संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है न नीतियों का व्यवस्थित विकास न संसदीय निर्वाचन के सांविधानिक साधन का अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था का नियमित प्रयोग जिसके द्वारा दल खना प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं।

भारत में राजनीतिक दलों की कोई विशिष्ट परंपरा नहीं रही है जिस तरह की ब्रिटेन तथा अमेरिका में है। फिर भी ब्रिटीश शासन काल के प्रारम्भिक दिनों में ही कुछ दलों की बुनियाद देखने को मिलती है। सार्वजनिक संगठन के रूप में पुना की सार्वजनिक सभा, मद्रास की महाजन सभा तथा कलकत्ता का भारतीय सङ्घ सबसे प्राचीन संगठनों में से हैं। ये सली संगठन 18 वीं शताब्दी में हुए भारत के पुनर्जागरण का परिणाम था। जिसके फलस्वरूप लोगों को बर्तन बना था कि सुल्तानी से मुक्ति, देश की समस्याओं का समाधान के लिए किसी संगठन का होना आवश्यक है और इसी आवश्यकता का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का उत्पत्ति होना और उसका राजनीतिक दल में परिणत होना है।

∴ भारत में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति :-

भारत में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति को मुख्य रूप से पाँच कारणों के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

प्रथम धारा :-

अखिल भारतीय स्तर पर 1885 में 12 राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज I.C.S. अधिकारी ए. एन. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रारम्भिक समय में कांग्रेस का विकास राजनीतिक दल के रूप में नहीं बरन् एक दबावसङ्घ के रूप में हुआ था जिसका

उद्देश्य कारीयों को गैर-सरकारी संसद के रूप में कार्य करना था। शुरू में इस विधि शासकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही कांग्रेस द्वारा ब्रिटीश साम्राज्य की आलोचना तथा स्वराज की मांग ने ब्रिटीश शासकों का रुख बदल दिया। अब कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे इस राजनीतिक संगठन के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गया। कांग्रेस की मुख्य विचारणा "सबको बैकरतखी" की रही है। इस विचार पामर ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य एक छत-संगठन (Umbrella Organisation) के रूप में हुआ जिसका अर्थ है कि कांग्रेस ने सभी वर्गों, आदिमों, स्तुष्टियों को मानने वालों को अपने में समा लिया।

दूसरी धारा:-

दूसरी धारा में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का आधार साम्प्रदायिकता रही है। 1906 में सर सैयद अहमद खाँ के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की नींव पड़ी। जिसका उद्देश्य कारीयों में ब्रिटीश साम्राज्य के प्रति राजभावे पैदा करना था। इसी का परिणाम 1941 का विख्यात "पाकिस्तान प्रस्ताव" था। जिसने अन्ततः साम्प्रदाय के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया।

मुस्लिम लीग की स्थापना के प्रतिक्रिया स्वरूप साम्प्रदाय के आधार पर 1916 में हिन्दू महासभा का उद्भव हुआ जिसके अध्यक्ष सावरकर ने कहा - हिन्दू महासभा का उद्देश्य हिन्दू आदिमों, संस्कृति तथा हिन्दू सभ्यता की रक्षण, रक्षा, विकास और हिन्दू राष्ट्र के गौरव में शक्ति और बल स्वराज की प्राप्ति हो।

इसी साम्प्रदायिक आधार का परिणाम R.S.S., विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनसंघ अकाबी दल जैसी संगठन और राजनीतिक पार्टियाँ रही हैं।

तीसरी धारा :-

जहाँ प्रथम और द्वितीय धारा की उत्पत्ति में स्वको लेकर चलो और स्तम्भवादी की अवधारणा परिवर्तित होगी सिखाई की वही तीसरी धारा में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का आधार स्वतंत्रता वर्ग की कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रबन्धक मुख्य रूप से एम. एन. रॉय, अन्नी मुखर्जी, और ए. पी. बी आचार्य रहे हैं। कम्युनिस्ट धारा का प्रतिपादन जर्मन कुल के कार्ल मार्क्स ने किया जिसका आधार आर्थिक आधार पर बुर्जुवा और स्वतंत्रता वर्ग की संघर्ष की स्थिति रही है। भारतीय कम्युनिस्ट मानना था कि भारत में केवल अंग्रेजों द्वारा ही भारतीय का शोषण नहीं किया गया रहा है। भारत के अन्दर भी एक ऐसा वर्ग है, जो अंग्रेज चले भी जाते हैं तो भी वे भारतीयों का शोषण करते रहेंगे अतः हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि वर्तमान व्यवस्था में मौजूद सभी बुर्जुवा वर्ग से ही रॉय के अनुसार कांग्रेस के भीतर भी कुल बुर्जुवा वर्ग है अतः भारत में कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 Dec 1924 को की गई परन्तु यह माना जाता है कि इस पार्टी का गठन 1920 में ही किया गया था।

परन्तु भारत में कम्युनिस्ट पार्टी एक अच्छा अनाधार बेजार कर पाने में असमर्थ रही इसके कारण कांग्रेस की विभाग धारि, अच्छा व्यक्ति, इतिहास और स्वयं ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय फस द्वारा इंग्लैंड के सहयोग देने से भारतीयों द्वारा की जाने वाली समर्थन में कमी का होता था। बाद में भारत में दो तरह के कम्युनिस्ट हो गए - कम्युनिस्ट माओवादी और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी

चौथी धारा :-

इस धारा में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का आधार सामाजिक न्याय और मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। इसके तारकित ने जयप्रकाश नारायण, लौहिया, आचार्य नरेन्द्र देव रहे हैं। इसके

काँग्रेस के अन्दर एक ऐसा स्वतंत्र भाग था जो कि समाजवादी सिद्धान्तों में विश्वास करता था, ने काँग्रेस के भीतर ही 1934 में काँग्रेस सोशलिस्ट फी. स्थापना की। जो बाद में 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बना। तब यह काँग्रेस से पूरी तरह छुट्ट हो गया क्योंकि काँग्रेस ने एक सत्ता के द्वारा यह निश्चय किया कि काँग्रेस के अन्दर रहकर किसी तरह का राजनीतिक दल का निर्माण नहीं किया जा सकता है और हैक्टर अन्धकार इसके कर्णबन्ध बने।

1952 में जे. बी. कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ मिलकर भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) का गठन किया।

1955 में राम मनोहर लोहिया ने PSP से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया) बनाया।

1964 में PSP से अलग होकर संशुद्ध सोशलिस्ट पार्टी (SSP) बना

1972 में SSP का विषय PSP के साथ हुआ और सोशलिस्ट पार्टी बना।

यह तीसरी बार था जब सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इसका गठन हुआ। और वेम नये नये के रूप में जार्ज कर्नाडिसु और। इसी समय जयप्रकाश के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा इंदिरा गौधी सरकार का विरोध हुआ।

1975 में भारतीय लोक दल और भारतीय जन संघ बना और 1977 में भारतीय लोक दल, भारतीय जन संघ और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनायी और 1977 में चुनाव लड़कर प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर और काँग्रेसी सरकार के रूप में मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने।

1979 में जनता दल बना जिसके नेतृत्व में विश्वनाथ प्रसाद

सिंह प्रधानमंत्री बने फिर आर. जे. डी., जी. डी. डू., जग
द्व, जगद्व संकुबर, स्व. पा., लौ. ज. पा., औरव.
स्व. पा. बने।

5 अप्रैल 1980 को पूर्व अनसंध पार्टी के सदस्यों ने वई
दिल्ली में एक सम्मेलन किया और 6 अप्रैल को एक
नई पार्टी 'भारतीय जनता पार्टी' बनाई। इस प्रकार
आर. एच. एच., बी. जी. पी., वी. एच. पी. और भारतीय
अनसंध सांस्कृतिक रूप से संघ परिवार कहवाते हैं।

पांचवी धारा:-

द्वों के उत्पत्ति के संबंध में यह पांचवी और अंतिम
धारा मानी जाती है जो कि द्वीतीय द्वों से संबंधित
है। सबसे पहला द्वीतीय द्वों तमिलनाडु की अखिल
पार्टी (1916) है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत विरोधी
पार्टी एवं इतिहास की मांग, दिल्ली को राजधानी बनाए
जाने का विरोध, मुख्यतः रहा है जिसके कारण द्वीतीय
संयोग त्रिबा और आगे बढ़ा। ई. बी. शमास्वामी अय्यर
(पेरियार) 1938 में इसके अध्यक्ष बने। इसके पहले पी.
आगरवाल इसके नेता रहे हैं।

1944 में इंडि कुजगम तथा 1949 में सी. एन. अनादुराई
के नेतृत्व में इंडि कुनेन कुजगम (DMK) बना। इसी समय
एम. करुणानिधि इसमें शामिल हुए और इंडिनाडु की मांग
की जो बाद में तमिलनाडु के रूप में राज्य को प्राप्त किया।

1972 में इंडि कुनेन कुजगम का विकास हुआ, एम. जी.
शामसुदुल्ला के नेतृत्व में और ऑब इंडिया इंडि कुनेन
कुजगम (AIADMK) बना। 1981 में शामसुदुल्ला की हत्या
के बाद अय्यलविन्ना ने AIADMK का नेतृत्व संभाली।

विवरण:-

इस प्रकार भारत में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का एक अच्छा इतिहास रहा है अर्थात् ब्रिटीश सरकार की क्रांति अपने प्रारम्भिक समय में परिपक्व नहीं रही है तथापि लोकतांत्रिक सफलताओं में भारतीय राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति में पॉपुलर क्रांति का योगदान था जो कि भारतीय पार्टी के निर्माण से संबंधित है, सबसे अधिक देखी जा रही है। अर्थात् इन पार्टियों को हीन स्तर पर पर्याप्त स्वतंत्रता तो मिल रही है परन्तु यह किसी भी विचारधारा के अभाव में ही एक प्रभुत्व प्रभावित दल के रूप में स्थापित करने में असफल ही रही है।

2. स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दलों की प्रकृति का विवरण

उत्तर :-

किसी भी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक राजनीतिक दलों की अपनी कुछ नीतियाँ, सिद्धान्त एवं विचार धाराएँ निश्चित होती हैं। इसी प्रकार भारतीय राजनीति में भी दलों की प्रकृति में ये तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद रही हैं।

भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिस लोक सेवा भावना पर आधारित थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके स्वभाव और प्रकृति में पर्याप्त बदलाव उभरकर सामने आई है। अब राजनीतिक दल स्वतंत्रता के पहुँचने का एक माध्यम बन गया है, सत्ता सुरू प्राप्त करना उनका लक्ष्य बन गया है। अब सत्ता सिर्फ धन का भण्डार बन चुका है। यह बहुत अधिक पैसा, उच्च स्थान और धन प्राप्ति का साधन बन गया है जिसके कारण राजनीतिक दल एवं उनके नेतृत्वकर्ता भ्रष्ट हो गए हैं। लाड एकर के शब्दों में, 'सत्ता इन्सान को भ्रष्ट बना देती है और सर्वसत्तावादी है जो बहुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है'।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति में निम्न तथ्य उभरकर सामने आई है :-

1. सत्ता प्राप्ति का माध्यम :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम बन गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जहाँ राजनीतिक दल लोक सेवा एवं देश के नागरिकों की अधिकार की बात करते थे वही वर्तमान परिस्थितियाँ ठीक उसके विपरीत हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल धनी-नैतिक-आर्थिक साधनों का प्रयोग करने में पीछे नहीं हटते हैं।

2. राजनीतिक दलों में दलों की दायः:-

पहले राजनीतिक दलों की राजनीति राष्ट्र के लिए हुआ करती थी परन्तु अब राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए ही की जाती है। जहाँ पहले हर राजनीतिक दलों की एक छल्लयः होती थी जैसे- नैतिकता के साथ सरकार के कामों का निर्वहन करेंगे, भ्रष्टाचार को साधत नही बनेंगे, वही आज के राजनीतिक दल छल्लय रहित हो गई है। उदाहरण जीवन और मंती बनने के लिए किसी भी प्रकार के अनैतिक, भ्रष्टाचार, धनबल जैसे साधनों का प्रयोग प्रमः सभी राजनीतिक दलों की मनोवृत्ति बन गई है।

3. आदर्शों का अभाव :-

राजनीतिक दल प्रायः आदर्शविहीन हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल प्रायः अवसरवादी हो गए हैं। एक ओर भ्रष्टाचार आदर्श की बात की जाय और दूसरे ओर अवसर की, जो राजनीतिक दल स्वतः ही अवसर की ओर खींचता चला जाता है। हर पार्टी को सत्ता पदा में जाकर मंती पद प्राप्त करने का अवसर बलाशय रही है।

4. पार्टी में लोकतांत्रिक छल्लयों का अभाव :-

राजनीतिक दलों पर यह आरोपकार होता है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करें परन्तु आज पार्टी के अन्दर ही लोकतांत्रिक छल्लयों का अभाव देखने को मिलता है। पार्टी अपने अन्दर अध्यक्षता, उपाध्यक्षता, समिति आदि पदों का उदाहरण लोकतांत्रिक पद्धति से नही करता है।

5. गठबंधन की सरकार :-

80 के दशक के अन्त से गठबंधन की सरकार बनना प्रारम्भ हुआ, इसका प्रमुख कारण किसी भी राजनीतिक दलों का पूर्ण बहुमत अधिवेशन में असमर्थता है।

भारत में इस लिए हुए क्योंकि राजनीतिक दलों में कोई नैतिकता, जादवी, तुल्य जैसी तत्व प्राप्त हुए हैं।
उन्हीं हैं जिससे जनता उनसे झुठक हो रही है और किसी पार्टी को स्थापित बहुराज्य नहीं मिल पा रही है।
सरकार मन्त्रियों की परंपरा नहीं मजबूती है।

6. जनता के साथ संबंधों में कमी :-

राजनीतिक दल और जनता के बीच संबंधों में गिरावट कमी आई है इसका सर्वप्रमुख कारण, कार्यकर्ताओं की पद प्राप्ति की बाधना है। पार्टी के अन्दर पद बाँटववा दायी हो गई है और जनता से उनका ध्यान हट रहा है। पार्टी कार्यकर्ता की संशा पद, हैला तक सीमित होकर रह आ रही है और जनता से उनका सम्पर्क बहुत ही गण्य रह गई है।

7. राजनीतिक अपराधिकरण :-

राजनीतिक दलों ने राजनीतिक अपराधिकरण को बढ़ावा दिया है। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके अपराधिकरण को बढ़ावा दिया है साथ ही इसी के बल पर खनाली प्राप्त किया है।

8. निर्दलीय उम्मीदवारों का उभरना :-

पिछले कुछ दशकों से निर्दलीय उम्मीदवारों की दौड़ दौड़ने को मिल रही है इसका कारण मिलीयम व्यक्ति को पार्टी विकल नहीं देती है तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है। साथ ही पार्टी द्वारा कमी-कमी मिली उपर पार्टी को दूराने के लिए भी कुछ व्यक्ति को निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर स्वयं का स्वार्थ साधते हैं।

निष्कर्ष :-

हम सबके बावजूद कार्य में लोकतांत्रिक

व्यवस्था कायम है। भारत विविधता का बाढ़ देखा है यहाँ
 भाषा, धर्म, रीति आदि को बैर कर सब को चलाता होता
 है जो आज तक नहीं है, इसके लिए होशियार, नैतिकी बंगो
 को राजनीति में होना चाहिए जिसका ही भारतीय राजनीति
 में अभाव है। इन सबके बावजूद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था
 में हार के बाद उन्नीसवाँ या सत्रा पचास - सपत्ता इसके लीकार
 करते हैं। मद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों
 की प्रकृति में पर्याप्त बदलाव आया है तथा भारत अब विश्व
 के सबसे बड़े लोकतंत्रों से विश्व के आठवीं लोकतंत्र की
 ओर अग्रसर हो रहा है।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके विकास पर एक विषयी विवरण।

उत्तर :-

18 वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागृति आन्दोलन चरम पर था जिसमें लोगों के मन में उदामी से जुक्ति, देश के समस्याओं से कबल होना आदि बातें लोगों के मन में जागृत होने लगी थी। अब लगने लगा था कि इन कार्यों के लिए एक संगठन का होना बहुत ही जरूरी है जिसका परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जो कि भारत में एक संगठन था परन्तु बाद में यह भारत में राजनीतिक दल के रूप में परिणत हो गया।

28 दिसम्बर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बंबई के गोकुल दास त्रेजपाल संरक्षित विद्यालय में इसकी नींव रखी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अतिवृत्ति थी। एक अवकाश प्राप्त कांग्रेस आई. सी. एस. अधिकारी ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी बैठक मुंबई में हुई जिसकी अध्यक्षता डब्लू. सी. बनर्जी ने की। प्रारम्भिक समय में कांग्रेस कुल रूप से एक संगठन था न कि एक राजनीतिक दल। जिसका उद्देश्य भारतीयों को गैर सरकारी संसद के रूप में कार्य कराना था। मुद्र में इसे ब्रिटीश शासकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन थोड़े समय ही कांग्रेस द्वारा ब्रिटीश साम्राज्य की आलोचना तथा स्वराज की मांग ने ब्रिटीश शासकों का रुख

बदल दिया। जब कॉंग्रेस ने प्रांतीय स्तरों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे इस राजनीतिक के नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता को प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कॉंग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गया। कॉंग्रेस की मुख्य विशेषता "सबको लेकर चली" की रही है। इसलिए पाप ने कहा कि कॉंग्रेस का उद्देश्य एक एन उम्ब्रेला (An umbrella-organization) के रूप में उभर खिड़का कार्य है कि कॉंग्रेस ने सभी वर्गों, जातियों, सत्तारूढ़ों के मानने वाले को अपने में समा लिया।

एक राजनीतिक दल के रूप में सब कॉंग्रेस के प्रमुख स्तर सिद्धान्तों एवं कार्यक्रमों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है :-

- I. धर्म निरपेक्षतावाद कार्य सभी धर्मों के प्रायः समान सन्भाव तथा राज्य के कार्यों में धर्म के दखलबाज की भांति। विविधता में एकता के स्वरूप में आया।
- II समाज का समाजवादी प्रतिपाद कार्य समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गों के हितार्थ काम करना, अरिष्ट में निजी स्वत्पत्ति पर राज्य का नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों का राष्ट्रीयकरण होना, मिश्रित कार्य व्यवस्था की प्रशंसा
- III संसदीय शासन प्रणाली में आस्था, देश में बहु-दलीय व्यवस्था, खुले व स्वच्छ चुनाव, प्रैक्टिस की स्वतंत्रता, शक्ति व उत्तरदायी शासन, बियुम्पति की अनुमति।

1. वि निर्माण के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक उद्वारण करना
- वि अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाना, युद्ध-निरपेक्ष आन्दोलन तथा संशुद्ध राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना
- वि उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, गरबवाद, साम्प्रदायवाद आदि का खण्डन करना तथा अन्य गैर-साम्प्रदायिक दलों, गुटों व तत्वों के सहयोग से सिबी-कुबी सत्ता बनाना।
- वि सभी देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा सामाजिक सहकार को बनाए रखने हेतु राजनीतिक स्थायित्व पर ध्यान देना।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षावाचक के रूप में कांग्रेसी के दायरे से हुई। परन्तु देश के समस्याओं और भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे स्वतंत्र आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण मंच बनाने का काम किया। जिसका अधिकतर देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में आयोजित होता था। 1885 का काशी का बहम स्वराज की प्राप्ति हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और स्वतंत्रता के बाद भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई जो इस विविधतापूर्ण देश को एक साथ बनाए रखने वाले विभिन्न कार्यदलों और नीतियों के साथ चलाने तक बनी हुई है।

वरुनिल्लप्रश्न

1. राजनीतिक दल के लिए कौन-सा मूल अनिवार्य नहीं है?
a. विचारधारा b. शासित प्राप्ति की इच्छा
c. लोकतांत्रिक स्वरूप d. संगठनात्मक ढांचा

उत्तर - (c) लोकतांत्रिक स्वरूप

2. "मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए इसके तौला आग
चाहिए" किसने कहा?

a. जे. एम. सिब b. जे. वेन्ग c. एम. गांधी d. डॉ. अम्बेडकर

उत्तर - a. जे. एम. सिब

3. 'स्वराज दल' की स्थापना की थी -

a. बाबू गंगाधर तिलक ने b. गांधीजी ने
c. सी. आर. दाय d. तौलाग अरुब कलाम्मा अजाद

उत्तर :- (c) सी. आर. दाय

4. काँग्रेस अधम द्वा लुनी जाने वाली विदेशी महिला कौन
थी?

a. श्रीमति एनी बेसेन्ट b. मगिनी निवेदिता
c. कुमारी रवेड d. लीडी माउन्टबैटन

उत्तर (a) श्रीमति एनी बेसेन्ट

5. संसदीय सरकार किसके बिना नहीं चल सकती?

a. विहित संविधान b. नियमित लुताव
c. राजनीतिक दल d. आगकक नीतल

उत्तर :- c. राजनीतिक दल

वरतुनिल सखन

6. अन्तरिम सरकार 14 अगस्त, 1946 को किसके नेतृत्व में बनी थी?

- a. सरदार बल्लभभाई पटेल
- b. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- c. गोविन्द वल्लभ पंत
- d. अबाहर लाल गैहक

उत्तर:- d. अबाहर लाल गैहक

7.

- | | |
|---|------------------------|
| a. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1. सी. आई. वी. यू. |
| b. भारतीय जनता पार्टी | 2. ए. आई. वी. यू. सी. |
| c. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 3. बी. एम. एच. |
| d. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 4. आई. एन. वी. यू. सी. |

उत्तर:- a-4, b-3, c-2, d-1.

8. राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए यह आवश्यक है उसे पिछले चुनाव में कम से कम -

- a. वेंच मतों का 10% चार या अधिक राज्यों में प्राप्त हों।
- b. वेंच मतों का 4% चार या अधिक राज्यों में प्राप्त हों।
- c. वेंच मतों का 15% दो राज्यों में प्राप्त हों।
- d. वेंच मतों का 25% एक राज्य में प्राप्त हों।

उत्तर:- b - वेंच मतों का 4% चार या अधिक राज्यों में प्राप्त हों।

9. भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होगा है -

- a. संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अन्तर्गत
- b. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत
- c. स्वयं चलायत आयोग के निर्णय के अन्तर्गत
- d. चुनाव आयोग द्वारा मंत्रीमण्डल की राजनीतिक मातलों

की समिति से विमर्श के पश्चात् बिल गण निर्णय के
अन्तर्गत

उत्तर:- b. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों
के अन्तर्गत

10. राजनीतिक दलों के सिद्धान्त के संदर्भ में, निम्न विधान
में से किसका प्रतिपादन भारतीय सुवर्णर द्वारा किया गया?
a. द्वि-दलीय व्यवस्था b. संसदा के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण
c. संवर्ग (कास्ट) पर आधारित ढल d. मिस्री सुबो बहुदलीय व्यवस्था

उत्तर:- b. संसदा के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण

11. किसने राजनीतिक गठबंधन के अपने सिद्धान्त में आकार
के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया?

उत्तर: a. विबियम राइकर b. गौत्रियल काल्मण्ड
c. लुसिगन पाई d. वी.ओ. के

उत्तर:- विबियम राइकर

12. किसने राजनीतिक दल को 'अल्पतंत्र के बौद्धिक' के रूप में परिभाषित किया?

a. लेनिन b. मिशौल्य c. डेविड एल्टर d. एम. स्वर्जर

उत्तर- b. मिशौल्य